

प्रारूप -6
राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
आदेश


निम्नांकित कार्मिक जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय / संस्था कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम मय पद व पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री इन्द्राज सिंह, शिक्षा प्रसार अधिकारी, सीबीईईओ, समसा, श्रीडूंगरगढ़	05.08.1959	31.08.2019

नोट:- दो वार्षिक वेतन वृद्धि (असंचयी) से दंडित दिनांक- 07.05.2018।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर


दिनांक 04.07.19

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/सी-8/ सेनि/एसडीआई/2019/63

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 निदेशक,पेंशन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),माध्यमिक शिक्षा
- 4 प्रधानाचार्य, समसा, श्रीडूंगरगढ़।
- 5 श्री इन्द्राज सिंह, शिक्षा प्रसार अधिकारी, सीबीईईओ, समसा, श्रीडूंगरगढ़।
- 6 निजी/रक्षित पत्रावली

✓ 7. सिस्टम अजालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर